(90)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2017/4655 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.09.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 146/अपील/16-17.

बाबूसिंह पिता मानसिंह
निवासी ग्राम सोनगुराडिया
तहसील व जिला इंदौर
.....आवेदक

विरूद्ध

धुलसिंह पिता मानसिंह
निवासी ग्राम सोनगुराडिया
तहसील व जिला इंदौर
.....अनावेदक

श्री कारती जायसवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री विनोद यादव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 19.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक धुलसिंह द्वारा नायब तहसीलदार, कम्पेल के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सोनगुराडिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 72/1, 72/2/1 तथा 72/4 रकबा क्रमश: 0.026 हैक्टेयर का सीमांकन करवाये जाने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि पैकी रकबा 0.004 हैक्टेयर पर आवेदक बाबूसिंह का अनाधिकृत कब्जा है। अत: आवेदक से प्रश्नाधीन भूमि 0.004 हैक्टेयर का कब्जा दिलवाया जाये। इस आवेदन पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण

क्र. 05/अ-70/14-15 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का अनाधिकृत कब्जा आबादी भूमि में मान्य करते हुए दिनांक 28.12.2015 को आदेश पारित कर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग कम्पेल के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो कि आदेश दिनांक 20.12.2016 से स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2015 निरस्त कर आवेदक को अनाधिकृत कब्जे की भूमि 0.004 हैक्टेयर से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19.09.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राम सोनगुराडिया स्थित सर्वे नंबर 72/1, 72/2/1, 72/4 रकबा क्रमशः 0.026, 0.017, 0.026 हैक्टेयर पैकी 0.004 हैक्टेयर पर आवेदक बाबूसिंह का अनाधिकृत कब्जा मानकर, अतिक्रमण हटाये जाने बावत् आदेश पारित किया गया है, जिसे अपर आयुक्त द्वारा विधि सम्मत ठहराया किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण रहा है क्योंकि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये पंचनामे से स्पष्ट हुआ है कि आबादी भूमि होने से सीमा चिन्ह आसपास उपलब्ध न होने के कारण मौका कब्जा अनुसार नप्ती की गई है, आबादी भूमि होने के कारण सीमा चिन्ह उपलब्ध न होने के कारण मिलान सीमा चिन्हों से नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में भी अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश एक विधिसम्मत आदेश का स्थान नहीं रखता है एवं अपने आप में अविधिक स्वरूप का हो जाता है।

(2) अनावेदक द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2014 को सीमांकन करवाया जाना उल्लेखित किया गया है, परंतु ऐसे सीमांकन संबंधी कोई जानकारी न तो आवेदक को रही है, ना ही सीमांकन के समय आवेदक उपस्थित ही रहा है, ऐसी स्थिति में ऐसी दूषित सीमांकन कार्यवाही के आधार पर अनावेदक के आवेदन को किसी प्रकार से कोई बल प्राप्त होता नहीं है तथा तहसीलदार द्वारा प्रकरण में विधिसम्मत आदेश पारित किया गया था, जिसमें किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप किए जाने का अनुविभागीय अधिकारी को कोई अधिकार नहीं

था, बाबजूद इसके तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को न केवल अपास्त किया गया है, अपितु अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते आवेदक का भूमि पर अनाधिकृत कब्जा मानकर अपर आयुक्त द्वारा एक त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है, जो विधि अनुमेय नहीं है, ना ही स्थिर रखे जाने योग्य है।

(3) सीमांकन कार्यवाही एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें आवेदनकर्ता व विरोध पक्ष दोनों की ही भूमियों का सीमांकन किया जाना आवश्यक है, परंतु इस विधिक प्रक्रिया का कोई पालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में भी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अपने आप में विधि की पवित्र मंशा के अनुरूप रहा होने से किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन किये जाने योग्य नहीं रहा है, बावजूद इसके तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है तथा अपर आयुक्त द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण आदेश को विधिसम्मत ठहराकर आवेदक की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने में गंभीर भूल की है।

(4) अपर आयुक्त द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि जहां सीमांकन कार्यावाही ही दूषित रही है, तब ऐसी स्थिति में ऐसी दूषित सीमांकन कार्यवाही के आधार पर अनावेदक किसी भी प्रकार से कब्जा प्राप्त करने का पात्र एवं अधिकारी नहीं रहा है, इस प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुए ही तहसीलदार द्वारा अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 250 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता का निरस्त फरमाते एक विधिसम्मत आदेश पारित किया गया था, जिसको न समझते तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एक गंभीर भूल की है तथा अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के त्रुटिपूर्ण आदेश को विधिसम्मत ठहराकर न्यायोद्वेश्य को पराजित किया गया है।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता 250 का सही विचार न करते तहसीलदार द्वारा पारित विधिसम्मत आदेश को उचित न ठहराकर अपास्त किए जाने में विधि की गंभीर भूल की है तथा ऐसे निर्धारण के आधार पर आवेदक जैसे पक्ष को गंभीर रूप से आहत किया गया है।

(6) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बिंदु उल्लेखित नहीं रहा है, ना ही तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत होने के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य रिकॉर्ड पर मौजूद रही है।

(7) अनावेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि किस सर्वे क्रमांक की भूमि पर आवेदक द्वारा अतिक्रमण किया गया है। आवेदक वर्षों से सदर भूमि पर निवास करता चला आ रहा है तथा नगर पंचायत के टेक्स आदि भी आवेदक के द्वारा ही अदा किये जाते रहे है, तदसंबंधी दस्तावेज भी आवेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत किए गये हैं, जिनके आधार पर आवेदक का आधिपत्य अवैधानिक एवं अनाधिकारपूर्ण स्वरूप का कतई नहीं होता है, जिस पर भी कोई विचार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है।

(8) अनावेदक द्वारा आवेदक से दिनांक 26 जून 2016 को आपसी राजीनामा किया गया है, बावजूद इसके अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से बाले बाले आदेश प्राप्त करते आवेदक को सदर मकान से बेदखल करना चाहता है, जिस पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में भी अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश एक विधिसम्मत आदेश का स्थान नहीं रखता है एवं अपने आप में एक त्रुटिपूर्ण आदेश रहा है।

(9) राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया गया है, तदसंबंध में आवेदक को न तो सूचित किया गया है, ना ही तदसंबंध में कोई सूचना पत्र प्रेषित किया गया है, ना ही सीमांकन रिपोर्ट एवं पंचनामे पर आवेदक के हस्ताक्षर रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा बाले बाले इस प्रकार की अविधिक कार्यवाही को षडयंत्र के वशीभूत होकर अंजाम दिया गया है, जिस पर अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार से कोई विचार नहीं किया गया है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण आदेश को विधिसम्मत ठहराया गया है।

(10) इस प्रकार संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन, परिवर्धन विधि अनुसार अनुमेय नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित विधिसम्मत आदेश को त्रुटिपूर्ण ठहराकर अपास्त किये जाने का कोई अधिकार न होते हुए भी एक त्रुटिपूर्ण आदेश द्वारा आवेदक को गंभीर रूप से आहत किया गया है तथा अपर आयुक्त द्वारा भी प्रस्तुत अपील एवं उसके माध्यम से उठाये गये विधिक बिंदुओं पर कोई विचार न करते अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण आदेश को यथावत रखते आवेदक की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने में विधि की गंभीर भूल की है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमि कृषि भूमि है, जो पड़ोसी कास्तकारों की आबादी से लगी हुई भूमि के समीप है। आबादी क्षेत्र में आवेदक का मकान बना हुआ है तथा उसके द्वारा अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमि के क्षेत्रफल 0.004 हैक्टेयर पर अतिक्रमण किया गया है। प्रकरण में हुए सीमांकन को आवेदक द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। अत: सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत अनाधिकृत आधिपत्य की भूमि का कब्जा दिलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार दो न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 20.12.2016 स्थिर रखे जाते हैं। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर